



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय

दूसरी मंजिल, जी.एस.आई. फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-छ.ग.-(492005,  
टेलीफेक्स 0771-2282530, 2285595, [Email-ro.raipur.ibm@gmail.com](mailto:Email-ro.raipur.ibm@gmail.com)

सं	छग/राय/चूना- 38CHG14012	दिनांक	6-11-2017
प्रेषित:	श्री खेम लाल वर्मा, पोस्ट-सुहेला, तहसील- सिमगा, जिला- रायपुर छत्तीसगढ़ 493 195		
विषय:	छत्तीसगढ़ राज्य के बलोदा बाजार जिले में स्थित आपकी बिटकूली चूनापत्थर खदान क्षेत्रफल 0.947 हे पर खसंविनि 2017 के नियमों का उल्लंघन।		
महोदय,			

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 10/09/2017 को श्री जे एस हाड़ा, सहायक खनन भूविज्ञानी द्वारा खान मालिक, श्री खेम लाल वर्मा की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण एवं कार्यालय रिकार्ड की जाँच में पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	Mining operations in the mine are being carried out without having valid approved mining plan/review of mining plan.
11(4)	Review of Mining Plan has not been submitted to competent authority 180 days before expiry of five year period for which it was approved on 27.4.2015 for mining operations for a period of five subsequent years.
45(5)(ख)	खान की मासिक विवरणियाँ वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं।
45(5)(ग)	खान की वार्षिक विवरणी वर्ष 2016-17 ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं की जा रही है।
इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवं इन नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2), एवं 45(7)(a) के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है :- (क) खदान की सारी खनन संक्रियाएँ बन्द की जा सकती हैं, (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है, एवं (ग) खनन पट्टे को निरस्त किया जा सकता है।	
अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।	

भवदीय

(रुद्र नारायण मिश्र)  
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रति:

1. खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।
2. संचालक,, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो